

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए-4 (1) लेखा/राज्यनिधि-प्रतिबद्ध/2024-25/

दिनांक :

संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।  
संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य निधि एवं राज्य निधि प्रतिबद्ध मद के उपमदों में अतिरिक्त बजट सीमा (Limit) अनुमत करने के क्रम में।

**संदर्भ:-**अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त मांग पत्रों के आधार पर।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुमत राशि से अधिक राशि के बिल बकाया होने के कारण प्रेषित मांग के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपलब्ध राशि में से पूल बजट के अन्तर्गत बजट मदवार संलग्न (परिशिष्ट "01/2024-25") विवरणानुसार अतिरिक्त राशि आहरण किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है:-

1. अनुमत राशि के व्यय हेतु लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा जीएफ एण्ड एआर के नियमों की पूर्ण पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
2. राशि का आहरण योजना के दिशा-निर्देश, तत्संबंधी नियम व निर्धारित प्रक्रिया की पालना करते हुए किया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का आहरण कर आरएमआरएस खाते में पुनर्विनियोजन नहीं किया जावे।
4. राशि के आहरण के संबंध में वित्त विभाग एवं विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

**संलग्न:-** उपरोक्तानुसार।

वित्तीय सलाहकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ए-4(1) लेखा/राज्यनिधि-प्रतिबद्ध/प्रतिबद्ध/2024-25/III

दिनांक : 1.5.24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-


1. प्रभारी अंकमिलान शाखा, मुख्यालय।
2. प्रभारी सर्वर, कृपया इस आवंटन पत्र मय संलग्नक को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

वित्तीय सलाहकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

**अनुमत आदेश (01/2024-25)**

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान सरकार

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	बजट मद	उपमद	राशि लाखों में	
				पूर्व में अनुमत राशि	अतिरिक्त अनुमत राशि
1	CMHO Bharatpur	2210-06-101-26-01	07-MMV	0.00	1.00
			60-DM	5.00	5.00
		2210-06-101-27-01	22-MS	15.00	5.00
		2210-01-110-03-08	05-OE	0.00	0.25
			20-MMV	0.00	0.50
		2210-01-196-01-07	05-OE	0.22	0.20
		2210-03-104-02-01	58-CB	0.37	0.50
			60-DM	0.88	1.00
		2210-06-101-23-01	22-MS	0.07	0.50
2210-06-197-01-02	07-MMV	0.00	0.50		
2	PMO Chittorgarh	2210-06-796-16-01	60-DM	2.00	10.00
		2210-06-796-17-01	22-MS	5.00	15.00
		2210-01-110-03-08	58-CB	0.00	2.00
			60-DM	0.00	2.50
3	PMO Bassi	2210-01-110-03-01	05-OE	0.00	0.10
		2210-01-110-03-08	58-CB	0.49	1.50
		2210-06-101-26-01	60-DM	5.00	14.50
		2210-06-101-27-01	07-MMV	0.03	0.18
			22-MS	6.00	14.80
2210-03-104-0-01	03-TA	0.00	0.10		
4	PMO Karauli	2210-06-101-27-01	22-MS	8.00	15.00
5	JD Jaipur	2210-06-101-23-01	03-TA	0.00	0.30
6	CMHO Chittorgarh	2210-03-104-01-00	60-DM	0.07	2.00
		2210-01-796-13-01	22-MS	0.00	0.10
			60-DM	0.00	2.00
		2210-03-104-02-01	58-CB	0.37	1.00
		2210-03-197-01-04	58-CB	0.30	3.00
		2210-06-101-23-01	22-MS	0.07	0.30
7	CMHO Udaipur	2210-06-101-26-01	60-DM	10.00	10.00
		2210-06-796-17-01	22-MS	15.00	10.00

  
 वित्तीय सलाहकार  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
 राजस्थान जयपुर